



2026:AHC:65570

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 5433 वर्ष 2026

मोहम्मद सददाम आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मोहम्मद जफरयाब खान, शहरोज खान

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. श्री मोहम्मद जफर याब खान के साथ आवेदक के अधिवक्ता श्री शहरोज खान और राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. कुमार को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उसे बी.एन.एस. की धारा 137(2), 143(5) और बाल श्रम अधिनियम की धारा 14(1) के तहत बी.एन.एस. की धारा 137(2), 143(5) और बाल श्रम अधिनियम की धारा 14(1) के तहत ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और गुप्त उद्देश्य के कारण उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि बी.एन.एस. की धारा 137(2) के तहत आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया जाता है क्योंकि पीड़ितों ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ दिया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को गिरफ्तार किया गया था और सत्र न्यायाधीश, मालदा के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय द्वारा बी.एन.एस. की धारा 143(5) और बाल श्रम अधिनियम की धारा 14(1) के तहत जमानत दी गई थी। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तुत मामले में बी.एन.एस. की धारा 137(2) जोड़ी गई है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक 18.09.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, यदि वह प्रदान किया जाता है। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या के लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. तत्स्य विपरीत अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है।

5. पीड़ितों ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा था। आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया और सत्र न्यायाधीश, मालदा की अदालत द्वारा बी.एन.एस. की धारा 143(5) और बाल श्रम अधिनियम की धारा 14(1) के तहत जमानत दे दी गई। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तुत मामले में बी.एन.एस. की धारा 137(2) जोड़ी गई है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक 18.09.2025 से जेल में बंद है।

6. तथ्यों, प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत जमानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

7. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- मोहम्मद सददाम को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए दो जमानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा कि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।



(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस ज़मानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

मार्च 30, 2026

आरकेएम

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)